UPMO010070472026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2143/2026

विवेक कुमार सिंह आयु करीब 40 वर्ष पुत्र राधेश्याम, निवासी मकान संख्या-81, आवास विकास कालौनी चन्दौसी, थाना चन्दौसी, जिला सम्भल।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या-130/2026, धारा-318(4), 338, 340(2), 336(3), 61(2) बी0 एन 0 एस 0 थाना-डिलारी, जिला-मुरादाबाद।

18.07.2026

1- प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र, आवेदक/अभियुक्त विवेक कुमार सिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-130/2026, अन्तर्गत धारा-318(4),338, 340(2), 336(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2- जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार/भाई का शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादी मुकदमा उ 0 नि0 संजय कुमार द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 02.07.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, अपर पुलिस महानिदेशक, एस०टी०एफ० उ०प्र० लखनऊ द्वारा एस०टी०एफ० टीमों को विभिन्न सरकारी विभाग में नौकरी में भर्ती कराने का लालच देकर अभ्यार्थियों से मोटी रकम लेकर फर्जी ज्वाइनिंग लैटर व आई कार्ड बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना एवं उनके सदस्यों की गिरफतारी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस०टी०एफ० उ०प्र० लखनऊ द्वारा श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.07.18 18:05:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अधीक्षक, मेरठ यूनिट के नेतृत्व में टीमें गठित कर विभिन्न सरकारी विभाग में भर्ती कराने का लालच देकर अभ्यार्थियों से मोटी रकम लेकर फर्जी तरीके से ज्वानिंग लेटर व आई कार्ड बनाकर ठगी कराने वाले गिरोह के सरगना एवं उनके सदस्यों की गिरफतारी हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में मुझ उपनिरीक्षक संजय कुमार को दिनांक 01.07.2026 को एस 0 टी0 एफ 0 कार्यालय पुलिस लाईन मेरठ में सर्विलांस के माध्यम से ज्ञात हुआ कि असरफ अली अली पुत्र सलीम अहमद निवासी ग्राम-ढकिया पीरू, थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद अपने साथियों के साथ मिलकर जनता के सीधे-साधे लडकों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से धोखाधडी करता है और उन्हें फर्जी, कूटरचित ज्वानिंग लेटर देकर उनके फर्जी आई 0 कार्ड बनाकर ठगी करता है। सर्विलांस से प्राप्त उक्त सूचना को उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर वादी उपनिरीक्षक संजय कुमार एस०टी०एफ० कार्यालय मेरठ में मौजूद हैड कॉ0 सितम सिंह, हैड कॉ0 जोशी कुमार, हैड कॉ0 प्रताप सिंह, हैड कॉ0 चालक जयवर्धन मय सरकारी गाडी यूपी-32 बीजी-4553 स्कार्पियो से मय लैपटाप, प्रिंटर एवं मय सहवर्ती उपकरण सहित एस०टी०एफ० कार्यालय पुलिस लाईन, मेरठ से समय करीब 14.00 बजे रवाना होकर थाना डिलारी, जनपद मुरादाबाद क्षेत्र में मामूर था। कुछ समय भ्रमणशील होने के पश्चात पुलिस वाले डिलरा चैराहा थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद पहुंचे थे तो वहां पर उपनिरीक्षक श्री संतोष कुमार व कान्स 0 2725 रजनीश कुमार चैकिंग करते हुये मिले। पुलिस वालों ने एक-दूसरे का परिचय ले-देकर उक्त गिरोह के सक्रिय सदस्यों के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे। कुछ देर पश्चात मुखबिर द्वारा आकर सूचना दी कि, ग्राम ढकिया पीरू का रहने वाला असरफ अली पुत्र सलीम अहमद काफी दिनों से बच्चों को सरकारी नौकरी का लालच देकर उनके साथ फ्रॉड कर रहा है तथा उन्हें फर्जी कूटरचित ज्वाइनिंग लैटर व आई कार्ड बनाकर देकर पैसे हड़प लेता है। आज वह अपने किसी अन्य साथी के साथ टंकी वाला रास्ता, नूरी चैराहा ग्राम पंचायत ढकिया पर खडा है तथा कहीं जाने की फिराक में है, यदि जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है और मुखबिर चला गया। तत्पश्चात हम पुलिस वालों ने गवाही हेतु जनता के व्यक्ति फराहन करने की कोशिश की गई, किन्तु जनता का कोई व्यक्ति गवाही हेतु तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये। तत्पश्चात हम पुलिस वालों ने एक-दूसरे की जामा तलाशी ले-देकर विश्वास किया कि, किसी के पास अपराध से सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं है और मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान की तरफ चल

दिये। गाडी की रोशनी से टंकी वाला रास्ता, नूरी चैराहा ढकिया थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद पर दो व्यक्ति खडे हुये दिखाई दिये। पुलिस वालों ने अपनी गाडी रोककर वहां वहां खडे व्यक्तियों के पास गये तो वह हम पुलिस वालों को देखकर सक-पका गये और चुप-चाप खडे रहे। पुलिस वालों ने अपना परिचय देकर उनसे नाम-पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गई तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम असरफ अली पुत्र सलीम अहमद, निवासी ग्राम-ढकिया पीरू, थाना डिलारी, जनपद मुरादाबाद उम्र-40 वर्ष बताया। जामा तलाशी से उसके पहने लोवर की दाहिनी जेब से 02 मोबाईल फोन व बांयी जेब से 1740/- रूपये मिले, जिन्हें मौके पर ही वापस किया गया। बरामद मोबाइल फोनों को चैक किया गया जो पहला मोबाील फोन वीवो रंग पर्पल ब्लैक रंग, जिसकी आईएमईआई चेक करने पर 86560071707590, 86560071707582 पाई गई, जिसमें 9917411503, 9084890780 नम्बर के सिम लगे है। बरामद दूसरे मोबाइल फोन ओपो रंग ब्राउन, जिसकी आईएमईआई चेक करने पर 867790084813896, 867790084813888 पाई गई जिसमें 9557460168 नम्बर का सिम लगा है। दूसरे व्यक्ति का नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गई तो उसने अपना नाम विवेक पुत्र राधेश्याम, निवासी ग्राम जरगाँव, थाना बिलारी, जनपद मुरादाबाद उम्र-40 वर्ष हॉल पता म0नं0 81, आवास-विकास कालौनी, चंदौसी जनपद संभल बताया। जामा तलाशी से उसके पास एक मोबाइल फोन ओपो ए-54, रंग सिल्वर ब्लू, जिसकी आईएमईआई चैक करने पर 861354050416519, 861354050416501 पाई गई, जिसमें 8979111430, 7906664212 नम्बर के सिम लगे है। उक्त दोनों व्यक्तियों से वहां खड़े होने का कारण पूछा तो बताया कि, साहब हम लोग मुरादाबाद जाने के लिये यहां पर खड़े थे। सख्ती से पूछताछ करने पर माफी मांगते हुये उक्त दोनों व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से बताया कि, साहब हम दोनों अपने सहयोगी अनिकेत मो0न0 9354794186, यामीन मो0न0 6350293241, सोनू हरियाणा मो0न0-9992204731, रोहित उर्फ जयहिन्द मो0न0-9354064405 के साथ मिलकर भारतीय रेल, दिल्ली बिजली विभाग, आयकर विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, भारतीय डाक विभाग, वन विभाग, उपनिरीक्षक ना०पु०, उ०प्र० होमगार्डस, भारतीय सेना में लडकों से मोटी 08 से 10 लाख रूपये लेकर उन्हें फर्जी ज्वाइनिंग लेटर व आई कार्ड बनाकर दे देते है। फर्जी ज्वाइनिंग लैटर व आई कार्ड अनिकेत, यामीन, सोनू

हरियाणा व रोहित ही बनाकर बच्चों के ई-मेल पते पर भेजते थे तथा वहीं उनकी वहां पर फर्जी ट्रैनिंग कराते थे। हम दोनों का काम केवल उन्हें लडके उपलब्ध कराना होता था। हम इस काम के प्रति लडका 01 से 1.5 लाख रूपये मिलते थे। हमने अब तक उन्हें 15 से अधिक लडकों के पैसे लेकर दे चुके है। कुछ लडकों के आई कार्ड व ज्वाइनिंग लैटर हमारे मो०फोन के व्हाटसप पर उपलब्ध है। तत्पश्चात पुलिस वालों ने असरफ अली के मो०फोन के व्हाटसप को चैक किया गया तो उसके व्हाट्स एप पर कुछ भर्ती सम्बन्धी डाक्यूमेंट/चेट डिलिट पाई गई तथा कुछ डाक्यूमेंट/चैट मौजूद मिली, जिनमें से कुछ का स्क्रीन शॉट लेकर प्रिंट निकलवाया गया। इसके पश्चात विवेक उपरोक्त के मोबाइल फोन के व्हाट्रसएप के चैक किया गया तो उसमें भी भर्ती सम्बन्धी डाक्यूमेंट/चैट डिलिट पाई गई तथा कुछ डाक्यूमेंट/चैट मौजूद मिली, जिसमें से कुछ का स्क्रीन शॉट लेकर प्रिट निकलवाया गया जिन्हें संलग्न फर्द किया जा रहा है। इस प्रकार असरफ अली, विवेक, अनिकेत, यामीन, सोनू हरियाणा, रोहित उर्फ जयहिन्द व अन्य द्वारा मिलकर एक षडयंत्र के तहत, अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से धोखाधड़ी कर कूटरचित तरीके से विभिन्न सरकारी विभागों के फर्जी आई कार्ड व ज्वानिग लैटर तैयार कर लडकों से पैसे हड़पे हैं। अभियुक्तगण असरफ अली, विवेक, अनिकेत, यामीन, सोनू हरियाणा, रोहित उर्फ जयहिन्द का यह कृत्य 318 (4), 338, 340(2), 336(3), 61(2) बीएनएस की हद तक पहुंचता है। अतः मौके पर मिले अभियुक्त असरफ अली व विवेक को उनके उपरोक्त जुर्म से अवगत कराते हुये पुलिस हिरासत में लिया गया तथा गिरफतारी मीमो तैयार किया गया। अभियुक्त से बरामदगी की वीडियोग्राफी मो० फोन से मौके पर की गई तथा सीजर मीमो तैयार किया गया, मौके पर की गई वीडियोगा रफी को लेपटॉप के माध्यम से एक पैन ड्राईव में ट्रांसफर कर पैन ड्राईव को एक सफेद कपडे में रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। अभियुक्तगण से बरामद मो० फोनों में डाटा डिलिट किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। अतः एफएसएल भेजकर डाटा रिकवर की कार्यवाही की जायेगी। बरामद मोबाइल फोनों की अभियुक्तवार अलग-अलग सफेद कपडे में रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। अभियुक्त की गिरफतारी के दौरान मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया। फर्द मौके पर ही वादी उपनिरीक्षक द्वारा लैपटॉप पर टाईप कर फर्द का मजबून पढकर सुनाकर गवाही गवाहन बनवाये गये। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर

अभियुक्तगण असरफ अली, विवेक, अनिकेत, यामीन, सोनू हरियाणा व रोहित उर्फ जयहिन्द के विरुद्ध उक्त मुकदमा धारा-318(4), 338, 340(2), 336(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में पंजीकृत किया गया।

4- आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि, उक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। उसका कोई मोटिव उक्त अपराध कारित करने का नहीं है। उसके विरूद्ध कोई सीधी साक्ष्य नहीं है। सह-अभियुक्त द्वारा उसका नाम होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। उक्त प्रकरण का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी को दिनांक 01.07.2026 को वादी मुकदमा ने एक सिपाही के साथ सादा कपडों में समय करीब 07:30 बजे शाम सेठ हलवाई के सामन बिसौली गेट चन्दौसी, जिला सम्भल से गिरफ्तार करके पहले चन्दौसी कोतवाली ले गयी बाद में डिलारी थाने से गिरफ्तारी दर्शायी गयी है। विशेष उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.07.2026 को समय करीब 04:50 बजे सुबह दर्ज करायी है, जबकि प्रार्थी को पहले की दिनांक 01.07.2026 को समय करीब 07:30 बजे शाम गिरफ्तार कर लिया। आवेदक/अभियुक्त के पास से मोबाइल के अलावा कोई भी आपराधिक वस्तु बरामद नहीं हुई है। प्रार्थी प्राथमिक विद्यालय जरगॉव ब्लाक सहसपुर तहसील बिला, जिला मुरादाबाद में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत है। अवेदक/अभियुक्त पूर्व दोषसिद्ध अपराधी नहीं है और न ही प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास है। आवेदक/अभियुक्त पैर से विकलांग है। उक्त प्रकरण में कोई भी पीडित व्यक्ति नहीं है, जिसके साथ प्रार्थी द्वारा ठगी किया जाना बताया गया हो। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध किसी व्यक्ति ने कोई भी शिकायत नहीं की है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 02.07.2026 से जिला कारागार मुरादाबाद में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि, आवेदक/अभियुक्त, अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से आपराधिक षडयंत्र रचकर सरकारी विभागों में भर्ती कराने का लालच देकर अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर फर्जी व कूटरचित नियुक्ति पत्र व आई कार्ड बनाकर ठगी करता है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6- जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7- अभियोजन के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण, आपराधिक षडयंत्र रचकर छल करने, मूल्यवान प्रतिभूति आदि की कूटरचना करने, कूटरचित दस्तावेजों को असल के रूप में प्रयोग में लाने से सम्बन्धित है। अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से आपराधिक षडयंत्र रचकर सीधे-सादे अभ्यर्थियों को विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती कराने का लालच देकर उनसे मोटी रकम लेकर फर्जी व कूटरचित नियुक्ति पत्र व आई कार्ड बनाकर ठगी करने आदि के आरोप हैं। अभियोजन के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में किसी पीड़ित व्यक्ति/अभ्यर्थी द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कथित अपराध के सम्बन्ध में कोई शिकायत दर्ज कराया जाना दर्शित नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी व कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 02.07.2026 से जिला कारगार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8- अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुए, आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त विवेक कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को मुबलिग 1,00,000/-रूपये (एक लाख रूपये) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

(i)- आवेदक/अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।

(ii)- आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

(iii)- आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

(iv)- माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन-जी-2

दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत आवेदक/अभियुक्त के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभुओं के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभुओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

(अनिल कुमार-IV)
कृते सत्र न्यायाधीश/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1,
मुरादाबाद।
I.D.No.UP6124